



मंत्रिमण्डल

कैबिनेट ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है

Posted On: 26 JUL 2017 9:02PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 के माध्यम से संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 में संशोधन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।

इस मंजूरी से जम्मू-कश्मीर राज्य में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) संशोधन आदेश, 2017 को पहले ही 6 जुलाई, 2017 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

एकेटी/वीबीए/एसएच/वीएल/आरआरएस/एमबी-3163

(Release ID: 1497342) Visitor Counter : 27

